

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति-पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1. मैं घोषणा करता /करती हूँ कि मैं पिछड़ा वर्ग एवं अति-पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत) का दोहरा लाभ किसी अन्य संस्थान/योजनाओं के द्वारा प्राप्त नहीं करता/करती हूँ।

2. उक्त के संबंध में हमें यह भी पता है कि एक माता-पिता के मात्र दो (02) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा। अतः इस नियम के अनुसार मैं छात्रवृत्ति पाने के योग्य हूँ।

3. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्रता रखता/रखती हूँ।

ऊपर दिये गये मेरे द्वारा सभी जानकारियाँ सत्य हैं, गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी और मुझे प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि वापस करना होगा/ करनी होगी एवं इसके लिए उचित एवं अनुशासनिक कारवाई की जायेगी।

आवेदन सं०—

नाम—

पिता का नाम—

रौल न०—

सत्र—

दिनांक :-

हस्ताक्षर